भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 197

(जिसका उत्तर मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>काली सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों द्वारा पहचान छुपाना</u>

197. श्रीमती कुसुम राय :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त, 2014 के दौरान राजकोट की काली सूचीबद्ध कंपनियों की पहचान छुपाने तथा उन्हीं निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों के नाम से व्यवसाय करने के संबंध में संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभ्यावेदन-वार, की गई जांच और तत्संबंधी परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन निदेशकों, जिन्होंने अपनी काली सूचीबद्ध कंपनियों की पहचान छुपाकर कारपोरेट धोखाधड़ी की है और काली सूचीबद्ध होने के बाद कारोबारी गतिविधि की है, के विरूद्ध की गई दण्डात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) दोषी निदेशकों के विरूद्ध प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज नहीं करने तथा उनकी निदेशक पहचान संख्या (डी.आई.एन.) को काली सूचीबद्ध नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) : जी, नहीं।

(ख) से (ड.) : प्रश्न नहीं उठता।

*****